

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1983/12-1 दिनांक, मसूरी 04-12-2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
समुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक 1798

फाईल 2011/12

दिनांक 20/12/17

विषय -

जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग के (कुल लम्बाई 2.00 किमी) के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.014 हे० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु लो०नि०वि० अस्थाई खण्ड, थत्पूड़ को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

सन्दर्भ :-
महोदय,

ऑनलाईन प्रस्ताव सं०-FP/UK/ROAD/10354/2015 एवं आपका ई०डी०एस०, दिनांक 12-11-2017

अधिसूची अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड़, (टिहरी गढ़वाल) द्वारा अपने पत्र सं० 1798/21सी० दिनांक 22-11-2017 (प्रति संलग्न) से जनपद टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक अन्तर्गत रौतू की बेली से चलीधार मोटर मार्ग के (कुल लम्बाई 2.00 किमी) के निर्माण हेतु अपेक्षित 1.014 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की मध्य सी०सी० इस कार्यालय में अर्पित कार्यवाही हेतु उपलब्ध करायी गयी है। प्रभाग स्तर से जांच / परीक्षण उपरान्त आवश्यक संस्तुति सहित विवक्षित प्रस्ताव की एक (01) कॉपी प्रति प्रेषित है। विषयवर्तित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण एवं प्रभाषित होने वाले वृक्षों की गणना का कार्य अधीनस्थ स्टाफ, राजस्व विभाग व प्रस्तावक विभाग के कर्मचारियों / अधिकारियों द्वारा दि० 16-10-2011 को किया गया। प्रस्तावित निर्माण कार्य में विभिन्न प्रजाति / व्यवसवर्ग के कुल 103 वृक्ष वाधित होने निहित है। जिसमें बाँज प्रजाति के 59 वृक्ष सम्मिलित है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रस्तावित स्थल का दिनांक 30-11-2017 को स्थलीय निरीक्षण किया गया है।

क्र. सं.	भूमि का विवरण	प्रजाति का नाम	व्यास वर्ग								योग
			0-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70 से अधिक	
1	जौनपुर रेंज- आरक्षित वन अलमस कक्ष सं०-3वीं (कुल वाधित वृक्षों की सं०-15)	बाँज	0	5	7	1	0	0	0	0	13
2	आरक्षित वन नगरा कक्ष सं०-2 (कुल वाधित वृक्षों की सं०-10)	बाँज	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	आरक्षित वन नगरा कक्ष सं०-1 (कुल वाधित वृक्षों की सं०-35)	बाँज	0	18	2	1	0	0	0	0	21
4	रिजिनल भूमि (कुल वाधित वृक्षों की सं०-29)	बाँज	0	8	4	2	0	0	0	0	14
5	नाथ भूमि (कुल वाधित वृक्षों की सं०-44)	बाँज	0	8	3	0	0	0	0	0	11
योग - कुल 103			-	39	16	04	0	0	0	0	59

सं० 103/12/17

20/12/17
अधीनस्थ अधिकारी

पूरा कार्यालय के उक्त सम्बन्धित पत्र के कम में नोडल कार्यालय द्वारा ई0डी0एस0 क्वेरी में इंगित सूचनाएँ /दस्तावेज/आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण करते हुए वांछित सूचना /अभिलेख आनलाईन इस कार्यालय को उपलब्ध कराये गये हैं। विषयवर्तित वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर नोडल कार्यालय द्वारा ई0डी0एस0 क्वेरी में उल्लिखित निम्न बिन्दुओं का निराकरण वांछित सूचनाएँ /दस्तावेज/प्रमाण-पत्र आनलाईन अपलोड कर उनकी हार्ड प्रति अप्रेतर कार्यवाही हेतु निम्नवत् संलग्न प्रेषित है।

क्र0 सं0	Objections of Nodel office.	अपत्तियों का निराकरण
1.	In the component wise break up in Part I. the dumping is not mentioned. The same may filled break up in Online Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा component wise break up जिसमें muck dumping को mentioned किया गया है। Part I में यथास्थान आनलाईन अपलोड किया गया है। Part I की प्रति संलग्न है।
2.	Authority letter is not issued in favour of the applicant in Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा श्री विशाल शर्मा, सहायक अभियन्ता के नाम ऑथरिटी लेटर तैयार कर भाग-I में यथास्थान आनलाईन अपलोड किया गया है। जिसकी प्रति संलग्न है।
3.	Employment generation details in the project is not filled in the online Part I.	प्रस्तावक विभाग द्वारा Employment generation details in the project को Part I के short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land required में mentioned किया गया है। Part I प्रति संलग्न है।
4.	In the geo-referenced digital map of the area proposed for diversion, uploaded at C(iv) Part I online, geo coordinates are shown in google map which does not serve the purpose. May upload scanned copy of clear GIS software generated geo-referenced digital map to the exact scale of the proposed road showing geo coordinates at 200 to 300 m interval along the alignment including all turning points.	प्रस्तावक /सी0नि0सि0 द्वारा प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण हेतु अपेक्षित वन भूमि के वांछित Geo-referenced digital map को भाग-I में यथास्थान आनलाईन अपलोड किया गया है।
5.	The FRA certificate uploaded in online Part I is without mentioning date and a lot of unnecessary document and more than one copy of same document is attached with the FRA certificate. The State Govt. may upload only required annexure with mentioning date of the committee proceeding in each annexure with the FRA certificate.	प्रस्तावक /सी0नि0सि0 द्वारा FRA certificate को Part I में यथास्थान uploaded किया गया है।
6.	The digital map of area proposed for CA is provided on google earth map which does not serve any useful purpose May provide/upload GIS software generated geo-referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file.	The digital map of area proposed for CA is provided on google earth map upload GIS software generated geo-referenced digital map of the area proposed for CA providing geo coordinates at all corner points in shape (polygon/closed area)file.
7.	The density 0.5 for the area proposed for diversion appears to be incorrect in view of the number of trees proposed to be felled. The State Govt. may review the density and provide correct density in online Part II.	As per working plan the said compartment falls under Protection, chir-cons-cum-Imp & Banj-cons-cum-imp.circle copy attached of relevant working plan circle. The detail are given of density under as per working circle :- Magra compt. no.1 & 2 required 0.49 ha. density as per W.P - 0.3, 0.5+0.6 /2 & Almas compt no. 3b required 0.157ha. density as per W.P-0.5, So, density avrage 0.45 or say 0.4,

8.	The NPV calculation is not provided with the proposal.	वन भुगि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में NPV calculation provided in the proposal & uploaded in part-II in sr.no 13 additional Information details.
9.	The CA stipulation against total forest area diverted in the district is not commensurate, The State Govt. may do the necessary correction and require, clarify the discrepancies.	क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थल के सम्बन्ध में प्रयोक्ता एजेन्सी/लॉ०नि०वि० द्वारा जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को प्रेषित पत्र की हार्ड प्रति मय संलग्नक संगत दस्तावेजों को part-II in sr.no 13 additional Information details में अपलोड किया गया है।
10.	The authenticated copy of online Part I, II, III, IV and V may provided to this office.	The authenticated copy of online Part I & II may be provided online & hart copy attached.

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अग्रतर कार्यवाही करने का कृपा करें।
संलग्न- उक्तानुसार।

भद्रीय
(कहकशा नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

पत्रांक 1823/12-1() तदुदिनांकित।

प्रतिरिति :- अधिसासी अभियन्ता, असमई खण्ड लॉ०नि०वि०, धत्यूड़ को उनके पत्र सं०1798/21सी० दिनांक 22-11-2017 एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(कहकशा नसीम)
प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।